रेडियो के लायसेंस

538. श्री राम सहाय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 1964 में ऐसे कितने ब्राडकास्ट रिसीवर सेट पकड़े गये जिनके लायसेंस नहीं लिये गये थे;

(ख) ऐसे कितने ब्राडकास्ट रिसीवर सेट पाये गये जिनके लाइसेंस 1964 में रिन्यू किये गये थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की गई ?

t [RADIO LICENCES

538. SHRI RAM SAHAI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of broadcast receiver sets detected in 1964, for which licences were not secured;

(b) the number of broadcast receiver sets, the licences for which were not renewed in 1964; and

(c) the action taken in the matter ?]

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री बी० भगवती) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथासंभव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

ttTpE DEPUTY MINISTER nsr THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI B. BHAGAVATI) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as early as possible.]

छात्रों को एन० सी० सी० का प्रशिक्षण

443. श्री राम सहाय : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से एन० सी० सी० का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है तब से क्या देश के समस्त कालेजों और विश्वविद्यालयों में सभी छात्र वह प्रशिक्षण ले रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत छात्र यह प्रशिक्षण ले रहे हैं :

tfN.C.C. TRAINING FOR STUDENTS

443. SHRI RAM SAHAI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether all the students are receiving N.C.C. training in all the colleges and universities of the country since it has been made compulsory; and

(b) if not, what is the percentage of number of students who are receiving this training ?]

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० डी० एस० राजू) : (क) जी नहीं। कालिजों और विश्वविद्यालयों के निम्न श्रेणियों के छात्र अनिवार्य एन० सी० सी० प्रशिक्षण से विमुक्त किए गए हैं :

(1) स्नातकोत्तर छात्र।

(2) कमाते हुए शिक्षार्थी

(3) प्रवर खिलाड़ी।

(4) छात्र जो 3 वर्ष एन० सी० सी० में रह चुके हों।

(5) भारतीय उत्पत्ति के समुद्र पारीय छात्र।

(6) नगरपालिका सीमाओं से बाहर से आने वाले छात्र।

(7) जैसे कि एन० सी० सी० नियमों में निर्धारित है, 26 वर्ष से ऊपर आयु वाले छात्र।

(8) निजी तौर पर पढ़ने वाले छात्र।

(9) छात्राएं।

(10) स्वास्थ्य दृष्टि से अयोग्य छात्र।

t[ ] English translation. ^Transferred from the 5th March, 1965.